न्यायालय सहायक कलक्टर एव कार्यपालक मजिस्ट्रेट (शहर), बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– मोनिका बलारा आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बरः– 59 / 2016
आरसीएमएस नम्बरः– 2016 / 00113

1. बुलाकीराम
2. बुधाराम
3. सरस्वती

} पिसरान स्व. भैराराम अकवाम मेघवंशी साकिन श्रीरामसर तहसील व जिला बीकानेर

..........वादीगण

----बनाम----

1. हीरा पत्नि स्व. केशराराम
2. श्रवण राम पुत्र स्व. केशराराम

} जाति मेघवंश निवासी श्रीरामसर, बीकानेर

3. पदमा पत्नि स्व. खेमाराम
4. **मूलचन्द**
5. सुरजा
6. रामी

} पिसरान स्व. खेमाराम जाति मेघवंशी, निवासी श्रीरामसर, बीकानेर

7. शंकरलाल
8. बाबुलाल
9. मूलचन्द
10. तुलछीराम
11. पार्वती
12. जेठी
13. शांति
14. धन्नी
15. जसोदा
16. रूपा
17. सुशीला

} पिसरान स्व. गोमन्दराम (गेबीराम) जाति मेघवंशी साकिन श्रीरामसर, बीकानेर

18. स्टेट ऑफ राज. जरिये तहसीलदार बीकानेर ।

.................प्रतिवादीगण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

वाद पत्र नाम शुद्वि की घोषणा अन्तर्गत धारा 53, 88 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः– 1. श्री भागीरथ मूंड अभिभाषक वादीगण।
2. श्री राजीव कुमार सुथार अभिभाषक प्रतिवादीगण।

सहायक कलेक्टर एव कार्यपालक मजिस्ट्रेट बीकानेर

निर्णय   दिनाक – 27.03.2018

इस वाद पत्र में सक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण व प्रतिवादी गण 1 ता 17 सदभावी काश्तकार है तथा वादीगण व प्रतिवादीगण स. 1 ता 17 एक ही पूर्वज के वशंज है। वादीगण व प्रतिवादीगण सं. 1 ता 17 की एक सयुंक्त पैतृक कृषि भूमि वाके रोही बस्ती चावडान तहसील व जिला बीकानेर में स्थित है। जिसके वर्तमान खसरा नं. 142 रकबा 19.95 हैक्ट व खसरा नं. 178 / 142 रकबा 0.03 हैक्ट कुल रकबा 19.98 हैक्ट है। पुराना खसरा नं. 18 तादादी 79 बीघा 3 बिस्वा है। इस कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी के मुताबिक वादीगण का 1 / 4 हिस्सा एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 17 का 3 / 4 हिस्सा है। उक्त कृषि भूमि के जमाबन्दी में नामांकित खातेदार केशराराम, खेमाराम व गोविन्दराम का

स्वर्गवास हो चुका है। यह भूमि पूर्व में पीथाराम के नाम से थी। पीथाराम के कुल चार वारिस हुए जो वादीगण का पिता स्व. भैराराम व प्रतिवादीगण 1 ता 2 के पति/पिता स्व. केशराराम प्रतिवादी सं. 3 ता 6 के पति/पिता स्व. सुखाराम तथा 7 ता 10 के पिता स्व. गोविन्द राम की थी। इस प्रकार प्रतिवादी सं. 3 ता 6 का 1/4 हिस्सा, 1 ता 2 का 1/4 हिस्सा तथा शेष 1/4 हिस्सा प्रतिवादी सं. 7 ता 17 का है। वादीगण व प्रतिवादीगण 1 ता 17 अपने अपने हिस्सा पर कब्जा काश्तकार कर रहे है। कब्जा काश्तकार को लेकर कोई विवाद नहीं है। वादीगण का उक्त कृषि भूमि में हिस्सा भाई बट (आपसी मौखिक बंटवारा) के अनुसार उक्त खसरा के उतरी–पूर्वी दिशा में रास्ते पर स्थित है इस कब्जा काश्त के अनुसार ही वादीगण अपने हिस्से का बंटवारा करवाने की घोषणा चाहता है।

वादी सं. 1 बुलाकीराम का नाम राजस्व रिकार्ड में गलती से विरासत इन्तकाल सं. 106 दिनांक 14.01.1983 में वादी के पिता की मृत्यु के बाद इस इन्तकाल में बुलाकी राम के स्थान पर ओमप्रकाश गलत नाम अंकित हो गया, जबकि वादी सं. 1 का वास्तविक नाम बुलाकीराम ही है एवं सभी सरकारी दस्तावेज मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड पुराने व नये राशन कार्ड तथा स्कूल की टी.सी. सभी में बुलाकीराम नाम है। इस प्रकार वादी बुलाकी राम अपने गलत नाम ओम प्रकाश के स्थान पर बुलाकी राम नाम की घोषणा करवाना चाहता है, जिसका वादी मुस्तहक है। वादी ने नाम शुद्धि के लिए माननीय उपखण्ड अधिकारी बीकानेर में नाम दुरुस्ती का एक प्रार्थना पत्र पेश किया था, लेकिन अदालत ने प्रकरण धारा 136 एल.आर. एक्ट की श्रेणी में नहीं आने के कारण प्रा. पत्र निरस्त कर दिया। इस लिये घोषणा का दावा प्रस्तुत कर रहा है।

उक्त कृषि भूमि का खाता सुयक्त होने का कारण सरकारी कृषि अनुदान योजनाएं किसान केडिट कार्ड व लगान जमा करवाने में कठिनाईयों का सामना करना पडता है। इसलिए वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपनी–अपनी भूमि का भाई बट के अनुसार कब्जा काश्त के आधार पर विभाजित करवाना चाहते है, जिसके वह हकदार है। वादीगण ने प्रतिवादीगण सं. 1 ता 17 को सहमति से खाता बंटवारा करवाने के लिये एवं वादी बुलाकीराम ने अपना नाम शुद्धि के लिये कहा तो उन्होंने दिनांक 30.10.2016 को सभी ने एक साथ में जाने के लिये असमर्थता व्यक्त की और कहा की अदालत से करवालो। यही दिनांक वाद पेश करने का वाद हेतुक है।

वादीगण की माता स्व. बाधू (बाकू) की भी मृत्यु दिनांक 29.10.2006 को हो चुकी है, उनके वादीगण ही जायजा वारिसान है। इसलिये वादीगण को उनकी माता बाकू के हिस्से का जो राजस्व रिकार्ड अनुसार बनता है उसका खातेदार दर्ज घोषित किया जावे तथा वादी की माता का नाम वर्तमान जमाबन्दी मे सहवन से गलत नाम बाकू दर्ज हो गया जबकि सही नाम बाधू है। इसलिये बाकू के स्थान पर सही नाम बाधू दुरस्त किया जावे। स्टेट को लेण्ड होल्डर होने के कारण आवश्यक पक्षकार बनाया गया है तथा प्रतिवादीगण को सह–हिस्सेदार होने के कारण पक्षकार बनाये गये है। अतः दावा वादीगण एवं प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे कि वादी सं. 1 का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज हुवे नाम ओमप्रकाश के स्थान पर सही नाम बुलाकीराम अंकित किया जावे तथा वादीगण का दावा में वर्णित पैरा सं. 2 मे अंकित भूमि मे से 1/4 हिस्सा उक्त खसरे के उतरी–पूर्वी दिशा में रास्ते के पास कब्जा काश्त अनुसार विभाजन किया जावे व प्रतिवादीगण का राजस्व रिकार्ड के अनुसार विभाजन किया जावे।

प्रतिवादी सं. 1 ता 17 ने इकबालिया जवाब पेश कर कथन किया कि वाद पत्र के पैरा सं. 2 में वर्णित कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड के अनुसार सही है। इस पैरा मे प्रतिवादीगण 1 ता 2 का 1/4 हिस्सा प्रतिवादीगण 3 ता 6 का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादीगण 7 ता 17 का 1/4 हिस्सा होना स्वीकार है तथा पारिवारिक बंटवारा होने की बात स्वीकार

है । पैरा सं. 3 में वादी सं. 1 का सही नाम बुलाकीराम होना स्वीकार है हम परिवार के सभी लोग वादी सं. 1 को बुलाकी राम के नाम से ही पुकारते है वादी सं. 1 का नाम ओमप्रकाश हमने कभी नही सुना। पैरा सं. 4 आंशिक रूप से स्वीकार है क्योंकि एक साथ सभी हिस्सेदार सहमति से खाता विभाजन के लिये उपस्थित होने में असमर्थ है।

वादीगण ने अपनी कब्जे काश्त की भूमि को उक्त खसरा नं. 142 रकबा 19.95 हैक की उतरी पूर्वी दिशा रास्ते के पास स्थित है, इसी कब्जा काश्त के आधार पर विभाजन किया जाता है तो प्रतिवादी सं. 1 ता 17 को कोई आपति नही है व वादी सं. 1 का नाम राजस्व रिकार्ड में भूल से अंकित हुवे ओमप्रकाश के स्थान पर सही नाम बुलाकीराम अंकित कियाा जाता है तो प्रतिवादी सं. 1 ता 17 को कोई आपति नहीं है।

वकील वादी ने कथन किया कि वादगत कृषि भूमि का वादीगण का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादीगण का 3/4 हिस्सा व ओम प्रकाश वादीगण के नाम के स्थान पर बुलाकीराम व वादीगण की माता का नाम बाकू के स्थान पर बाधू देवी की शुद्वि करने का निवेदन किया गया। जिस पर वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 17 द्वारा आपति नही की व अपनी सहमति दी गयी।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया । जमाबन्दी के संवत 2069–2072 में वादीगण का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादीगण के पिता/पति का नाम व 3/4 हिस्सा दर्ज है। वाद के पैरा सं. 2 में प्रतिवादीगण के पिता/पति का स्वर्गवास हो चुका है। लेकिन उसके वारिसान राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही हुवे है। वकील वादी द्वारा उनके मृत्यु प्रमाणपत्र व वारिसान प्रमाण पत्र भी दावा में प्रतिवादीगण के हस्ताक्षर करवाकर पेश किये गये है एव ना ही जवाबुल जवाब दावा के समर्थन में शपथ पत्र पेश किया गया है और ना ही वादीगण व प्रतिवादीगण ने Avidence करवायी गयी है। बुलाकीराम के नाम शुद्वि के लिये उपखण्ड अधिकारी बीकानेर में नाम दुरस्ती का प्रार्थना पत्र धारा 136 एल.आर एक्ट की श्रेणी मे नहीं आने के कारण प्रा. पत्र निरस्त किया गया उसकी प्रमाणित प्रति भी वाद पत्र में सलंग्न नही की गयी है।

उक्त विवेचन के आधार पर वादीगण दावा साबित करने में असफल रहने से वाद पत्र स्वीकार करने योग्य नही है, अतः वाद वादीगण खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 27.03.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी किया गया ।

(मोनिका बलाया)
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(शहर), बीकानेर